(4)

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-बी-1-बजट नोड्यूज//2024-25// 218 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,।
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 29 जुलाई, 2024

1. **समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,**
   राज्य कर उत्तर प्रदेश ।
2. **आहरण एवं वितरण अधिकारी (प्रशिक्षण संस्थान), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।**
3. **आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, ।**

विषयः- **विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में स्वीकृत अग्रिमों के विरूद्ध (भवन निर्माण/मरम्मत/वाहन) मूलधन व ब्याज के मद में अधिक वसूली जा रही धनराशि के सम्बन्ध में ।**

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय जनपदों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के स्वीकृत विभागीय अग्रिम आदेशों (भवन निर्माण/मरम्मत/वाहन) में दिये गये निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है जिस कारण सम्बन्धित कार्मिको के वेतन से मूलधन/ब्याज की अधिक कटौती हो जाती है तथा ब्याज की गणना समय से न करने/अदेयता हेतु प्रकरण समय से मुख्यालय प्रेषित न करने/सेवानिवृत्त के कुछ माह पूर्व प्रेषित किये जाने के कारण प्रकरणो के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है जिसपर आयुक्त महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया है । उक्त वर्णित परिस्थितियों में विभागीय अग्रिमों के क्रम में निदेश दिये जाते है कि :-

1. मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अग्रिमो की प्रथम किश्त कार्मिक को प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र/द्वितीय किश्त जारी करने हेतु सम्पत्ति को शासन के पक्ष में बंधक रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
2. यदि कार्मिक द्वितीय किस्त लेने का इच्छुक नही है तो तीन माह के अन्दर ऋण को सीमित करने का प्रार्थना पत्र कार्मिक से लेकर अपनी संस्तुति सहित मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
3. मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अग्रिम की कटौती/वसूली दिये गये निर्देशो के क्रम में मूलधन, **मूलधन की मद में** व ब्याज, **ब्याज की मद मे** समयान्तर्गत गणना कराकर जमा कराना सुनिश्चित करें । तत्पश्चात् अदेयता हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करें ।
4. अग्रिम की वसूली/कटौती करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी कार्मिक की मूलधन व ब्याज की मद में अधिक कटौती न हो ।
5. जैसे ही अग्रिम का मूलधन व ब्याज की कटौती पूर्ण हो जाये बिना विलम्ब किये अदेयता निर्गत कराने हेतु प्रकरण पूर्व निर्देशों के क्रम में मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

श्री अजय

क्रमशः पृष्ठ संख्या-2/पर जारी.....

D.C (II)
30/07/024
1552

6. कार्मिक के सेवानिवृत्त के कुछ माह पूर्व/सेवानिवृत्त के उपरान्त अदेयता हेतु प्राप्त होने प्रकरण अत्यन्त खेद का विषय है । ऐसे विलम्ब से प्राप्त प्रकरणों पर नियमानुसार कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी ।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0स0वदिनांकउक्त

1. **आयुक्त राज्य कर, महोदय** को दिये गये निर्देशो के अनुपालन में अवलोकनार्थ ।
2. **अपर आयुक्त राज्य कर,** को सूचनार्थ ।
3. समस्त जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आप अपने स्तर सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
4. अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ ।
5. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित ।

29/7/24.

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।